

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा.भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

228/22

2022

334

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय

बालोतरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खांगरानाडी की जमाबन्दी संवत् 2070-71 खाता संख्या 31 में मैरा बाबू भोलाराम पुता विरिया के हैं जो मैरा बाबू के नाम है। मैरा बाबू के नाम पर खांगरानाडी वडाई रस्ती दुरुस्ती में मैरा खरीनाम भोलाराम पुता के नाम पर हैं जो खांगरानाडी के वडाई संख्या 2375, 2376, 2378, 2382 में भोलाराम पुता विरिया नाम पर खरीनाम है लेकिन इन नामों को खरीनाम नहीं है जो इनकी जमीन के नाम पर है जो मैरा खरीनाम भोलाराम पुता विरिया के नाम पर भोलाराम पुता के नाम पर हैं जो इनकी जमीन के नाम पर है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी मैरा बाबू

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी के दावाओं के अर्थात् प्रैलिज लोग से फुडरब के नाम पर पाया गया कि जो खांगरानाडी के वडाई संख्या 2375, 2376, 2378, 2382 में भोलाराम पुता विरिया के नाम पर भोलाराम पुता के नाम पर किया गया उक्ति है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रस्तुत दस्तावेज व पण्ड/ILR की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित दुरुस्ती का जमाना उचित है। इस बाबत अनुशंसा का जाकर श्रीमानजी की सेवाओं सादर धेश है।

प्रार्थी का आवेदन को स्वीकार कर दुरुस्ती करने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

जोय खण्ड अधिकारी
 खांगरानाडी वडाई संख्या 204/27 की
 खाता संख्या 31 के संबंध में

उपखण्ड अधिकारी
 (नरेश सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बालोतरा

मदन विरनोई
 पटवारी (भू.अ.नि.)
 तहसील बालोतरा

24/6/22
 NTDR, Patodi